अधिकृत प्रेस संवाददाताओं के लिए रेल यात्रा कूपन

244.1 (1) भारत सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र तथा जिला मुख्यालयों के अधिकृत प्रेस संवाददाताओं को उनकी मांग के अनुसार प्रेस संबंधी सदाशयी कार्य पर असीमित यात्राएं करने के लिए पूरे मूल्य पर कूपन पुस्तकें जारी की जाएंगी. ये कूपन पुस्तकें निम्नलिखित अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जारी की जाएंगी. यह प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से एक महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना ज़रूरी है. कूपन पुस्तक केवल एक सवांददाता के नाम से जारी की जाएगी.

प्रमाणपत्र फार्म

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती-------------------- भारत सरकार के मुख्यालय अथवा ----------------- राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र/जिला मुख्यालय के अधिकृत संवाददाता हैं और संस्तुत करता हूँ कि उन्हें कूपन पुस्तक इस शर्त पर जारी की जाए कि वह इसका उपयोग केवल प्रेस संवाददाता संबंधी कार्यों की यात्राओं हेतु ही करेंगे/करेंगी.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यात्रा का खर्च संबंधित व्यक्ति द्वारा वहन किया जाएगा और नियोक्ता से किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते/मंहगाई भत्ते का दावा नहीं किया जाएगा.

उप मुख्य सूचना अधिकारी,
भारत सरकार, नई दिल्ली
------------राज्य सरकार के प्रचार निदेशक
------------जिला के जिला जनसंपर्क अधिकारी/समाहर्ता

स्थान_________
तिथि_________

टिप्पणी : इस प्रमाण पत्र पर (1) भारत सरकार के मुख्यालय से जुड़े अधिकृत संवाददाताओं के मामले में उप मुख्य सूचना अधिकारी, भारत सरकार द्वारा (2) राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र के मुख्यालय से जुड़े संवाददाताओं के मामले में प्रचार निदेशक द्वारा तथा (3) जिला मुख्यालयों से जुड़े संवाददाताओं के मामले में संबंधित जिले के जनसंपर्क अधिकारी/समाहर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे.

(2) कूपन पुस्तकें नीचे दी गई राजधानी/मुख्यालय को सेवित करने वाले स्टेशनों से जारी की जाएंगी.

निम्नलिखित के मुख्यालयों द्वारा अधिकृत संवाददाता	**कूपन निम्नलिखित स्टेशनों/आरक्षण कार्यालयों से जारी किए जाएंगे**
भारत सरकार	आई आर सी ए, नई दिल्ली
राज्य सरकारें	
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
असम	गुवाहाटी
बिहार	पटना
दिल्ली प्रशासन	आई आर सी ए, नई दिल्ली
गोआ, दमन, दीव	वास्को-डि-गामा (मडगांव)
गुजरात	अहमदाबाद
हिमाचल प्रदेश	शिमला
जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू तवी
कर्नाटक	बंगलूर सिटी जं./मैसूर
केरल	तिरूवनंतपुरम सैंट्रल
मध्य प्रदेश	भोपाल/ग्वालियर
मणिपुर	मणिपुर रोड
महाराष्ट्र	मुंबई सी.एस.टी., मुंबई सैंट्रल और नागपुर
उड़ीसा	कटक और भुवनेश्वर
पंजाब	चंडीगढ़
राजस्थान	जयपुर
तमिलनाडु	चेन्नै
उत्तर प्रदेश	लखनऊ, गोरखपुर
पश्चिम बंगाल	हावड़ा
नागालैंड	दीमापुर
अरूणाचल प्रदेश	हरमुती
त्रिपुरा	धर्मानगर
मिजोरम	सिलचर
मेघालय	गुवाहाटी
सिक्किम	न्यूजलपाईगुड़ी
छत्तीसगढ़	रायपुर
झारखंड	रांची
उत्तरांचल	देहरादून
जिले	जिला मुख्यालयों को सेवित करने वाले स्टेशन

244.2. प्रत्येक पुस्तक में कूपनों की संख्या : तीन किस्म की कूपन पुस्तकें जिनमें क्रमश: 1000 रु., 5000 रु. और 10,000 रु. के कूपन होंगे, संबंधित क्षेत्रीय रेलों द्वारा मुद्रित किए जाएंगे. कूपन पुस्तकों में उपयुक्त पुस्तक संख्या होगी जो 1000 रु. के कूपनों वाली पुस्तक के लिए कोड 'क' से, 5000 रु. की कूपनों वाली पुस्तक के लिए 'ख' से और

10,000 रु. के कूपनों वाली पुस्तक के लिए 'ग' से शुरू की जाएंगी. प्रत्येक कूपन पर क्रम से पुस्तक संख्या और कूपन संख्या दी जाएगी. कूपन पुस्तकों में निम्नानुसार मनी-वैल्यू कूपन होंगे.

1	**<u>1000 रु. वाली कूपन पुस्तक में कूपनों का अंकित मूल्य</u>**	**<u>कुल रुपए</u>**
	प्रत्येक 50 रु. के 10 कूपन	500
	प्रत्येक 20 रु. के 10 कूपन	200
	प्रत्येक10 रु. के 10 कूपन	100
	प्रत्येक 5 रु. के 20 कूपन	100
	प्रत्येक 2 रु. के 30 कूपन	60
	प्रत्येक 1 रु. के 40 कूपन	40
	कुल (बेचे जाने वाली कीमत)	1000 रु.

2.	**<u>5000 रु. वाली कूपन पुस्तकों में कूपनों का अंकित मूल्य</u>**	**<u>कुल रुपए</u>**
	प्रत्येक 50 रु. के 60 कूपन	3000
	प्रत्येक 20 रु. के 50 कूपन	1000
	प्रत्येक 10 रु. के 60 कूपन	600
	प्रत्येक 5 रु. के 60 कूपन	300
	प्रत्येक 2 रु. के 30 कूपन	60
	प्रत्येक 1 रु. के 40 कूपन	40
	कुल (बेचे जाने वाली कीमत)	5000 रु.

3.	**<u>10000 रु. वाली कूपन पुस्तकों में कूपनों का अंकित मूल्य</u>**	**<u>कुल रुपए</u>**
	प्रत्येक 100 रु. के 50 कूपन	5000
	प्रत्येक 50 रु. के 60 कूपन	3000
	प्रत्येक 20 रु. के 50 कूपन	1000
	प्रत्येक 10 रु. के 60 कूपन	600
	प्रत्येक 5 रु. के 60 कूपन	300
	प्रत्येक 2 रु. के 30 कूपन	60
	प्रत्येक 1 रु. के 40 कूपन	40
	कुल (बेचे जाने वाली कीमत)	10000 रु.

244.3 **कूपनों का उपयोग** : (1) कूपनों का उपयोग बुकिंग कार्यालयों पर यात्री टिकटों के किरायों के भुगतान तक सीमित है. किसी भी हालत में कूपनों को गाड़ी में स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा पूरी रकम (बिना किसी रियायत के) नकद वसूली जाएगी.

(2) यात्री टिकट पर सभी प्रभार कूपन द्वारा ही स्वीकार किए जाएंगे. कूपन पुस्तकें इकहरी/वापसी यात्रा टिकटें जारी करने के लिए वैध हैं. तथापि, ये कूपन सीज़न टिकटों, वर्तुल यात्रा टिकटों, लोकल/उपनगरीय/पैसेंजर गाड़ियों की टिकटों को खरीदने तथा अधिक किराया व जुर्माना देने के लिए वैध नहीं हैं.

244.4 रियायत की सीमा : प्रेस संवाददाता निम्नलिखित रियायतों के पात्र हैं :

(i) सभी श्रेणियों के मेल/एक्सप्रेस के मूल किरायों में 50% रियायत. रियायत अन्य अधिभार जैसे आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट गाड़ियों के पूरक अधिभार, संरक्षा अधिभार आदि पर नहीं दी जाती है.

(ii) राजधानी, शताब्दी, जनशताब्दी समूह की गाड़ियों के सभी-शामिल किरायों में 30% रियायत. फिर भी, संरक्षा अधिभार में रियायत नहीं दी जाती है.

(iii) किसी दूसरी तरह की रियायत इन कूपनों के बदले मान्य नहीं होगी.

244.5 संवाददाताओं द्वारा वचन दिया जाना : इस पुस्तक का उपयोग करने वाले संवाददाताओं द्वारा निम्नलिखित रुप में वचन दिया जाना होगा जो प्रत्येक कूपन पुस्तक के आवरण पृष्ठ पर छपा रहेगा :-

मैं श्री/श्रीमती___________________________एतद्द्वारा यह घोषित करता/करती हूं कि यह कूपन पुस्तक मेरे द्वारा अपनी ऐसी यात्राओं के लिए इस्तेमाल की जाएगी जो संवाददाता के रुप में किए जाने वाले काम के सिलसिले में की जाए.

संवाददाता के हस्ताक्षर

244.6 मांगने पर प्रेस कार्ड प्रस्तुत करना : कूपनों के बदले खरीदे गए टिकट पर यात्रा करने वाला प्रेस संवाददाता अपने साथ एक प्रेस कार्ड (नमूना नीचे दिया गया है) रखेगा और टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा मांगे जाने पर पहचान के प्रयोजन से उन्हें अवश्य दिखाया जाएगा.

प्रेस कार्ड का नमूना

नाम..............................
राष्ट्रीयता........................... फोटो लगाने की जगह
समाचार-पत्र/न्यूज़ एजेंसी
जिसका प्रतिनिधित्व किया ....

जारी करने वाले
कार्यालय की मुहर
स्थान

प्रेस कार्डधारी के हस्ताक्षर_________
जारी करने की तारीख........
*भारत सरकार के सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय,नई दिल्ली या
*सचिव, राज्य सरकार ________प्रदेश/ या संघ शासित क्षेत्र
*संबंधित जिले के जनसंपर्क अधिकारी/समाहर्ता

*जो लागू न हो उसे काट दें.

244.7 **कूपन पुस्तक की वैधता** : कूपन पुस्तक जारी होने की तारीख से तीन वर्ष के लिए वैध रहेगी. उदाहरणार्थ, यदि कोई पुस्तक 5 जनवरी, 2001 को जारी की जाती है, तो वह 4 जनवरी, 2004 की आधी रात तक उपयोग के लिए वैध रहेगी.

244.8 **कूपन/कूपन पुस्तक हस्तांतरणीय नहीं होते** : (1) कूपन/कूपन पुस्तक हस्तांतरणीय नहीं होते और उनका इस्तेमाल केवल प्रेस के वास्तविक काम से संबंधित यात्राओं के लिए उन्हीं संवाददाताओं द्वारा किया जाना चाहिए जिनके नाम से इन्हें जारी किया गया है.

(2) जिस संवाददाता के लिए कूपन पुस्तक जारी की गई है उसके स्थानांतरण, बर्खास्तगी या मृत्यु हो जाने पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली/संबंधित राज्य सरकार/ज़िला प्रशासन उस पुस्तक को इस्तेमाल करने के लिए कोई उत्तराधिकारी नामित कर सकता है, लेकिन इसके लिए उस कार्यालय या स्टेशन पर, जहां से यह पुस्तक मूल रूप से जारी की गई थी, उप प्रधान सूचना अधिकारी/संबंधित राज्य सरकार के प्रचार निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें उक्त अनुरोध के कारण बताए गए हों.

(3) उपयुक्त खंड (2) में उल्लिखित कूपन पुस्तक रखने वाले किसी व्यक्ति के नाम में किसी तरह का परिवर्धन या परिवर्तन उस कार्यालय में या स्टेशन पर ही किया जा सकता है जहां से कूपन पुस्तक मूल रूप से जारी की गई थी और किसी अन्य कार्यालय में या स्टेशन पर ऐसा नहीं किया जाएगा.

244.9 **कूपनों के बदले टिकट खरीदने का तरीका** : (1) यात्रा शुरू करने वाले संवाददाता द्वारा व्यक्तिगत रूप से कूपन पुस्तक बुकिंग क्लर्क के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए और पुस्तक से कोई कूपन अलग नहीं किया जाना चाहिए. खुले कूपन अर्थात् पुस्तक से अलग किए गए कूपन किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

(2) बुकिंग क्लर्क यात्रा के लिए आवश्यक कूपनों को स्वयं पुस्तक में से निकाल लेगा. प्रतिरूपण से बचने के लिए बुक्रिंग क्लर्क कूपन पुस्तक रखने वाले व्यक्ति से अनुरोध कर सकता है कि वह कागज़ के किसी टुकड़े पर अपने हस्ताक्षर कर दे ताकि उनका मिलान कूपन पुस्तक पर किए गए हस्ताक्षर से किया जा सके. ऐसे मामलों में, जहां कोई बुकिंग क्लर्क किसी कूपन पुस्तक में से वास्तविक रूप से अपेक्षित कूपनों से अधिक कूपन निकाल ले, तो कूपनों के पीछे उपयुक्त टिप्पणी "गलती से निकाले गए" दे दी जानी चाहिए और जब टिकट जारी करने के लिए ऐसे कूपन प्रस्तुत किए जाएं, तो उन्हें स्वीकार कर लिया जाना चाहिए बशर्ते कि (क) जिस कूपन पुस्तक से कूपन निकाले गए हों, उसे प्रस्तुत किया जाए और (ख) कूपन पुस्तक की वैधता की अवधि समाप्त न हुई हो.

(3) बुकिंग क्लर्क कूपनों के बदले इकहरा या वापसी टिकट, जिसकी भी आवश्यकता हो, जारी करेगा और उस पर छपे किराए को काट देगा और टिकट के दूसरी ओर लाल स्याही से "रेल यात्रा कूपन" शब्द लिख देगा.

(4) यदि पुस्तक में उपलब्ध कूपन किसी यात्रा के लिए पर्याप्त न हो तो शेष रकम नकद वसूल की जाएगी और इस तरह वसूल की गई रकम टिकट के ऊपर अंकित कर दी

जाएगी. यदि टिकट जारी करने के लिए एक ही संवाददाता को जारी की गई दो विभिन्न कूपन पुस्तकें प्रस्तुत की जाएं तो उन्हें स्वीकार कर लिया जाना चाहिए.

244.10 **कूपनों द्वारा जारी किए गए टिकटों की वैधता की अवधि** : कूपनों द्वारा जारी किए गए टिकटों की वैधता की अवधि वही होगी जो सामान्य इकहरे या वापसी टिकटों के लिए होती है.

244.11 **रेलों के बीच कूपनों की परस्पर अदला-बदली** : कूपन भारतीय रेलों के बीच स्थानीय बुकिंग और थ्रू बुकिंग दोनों में स्वीकार किए जाएंगे.

244.12 **सामान** : आम टिकटों पर जितना सामान मुफ्त ले जाया जा सकता है, उतना सामान इन कूपनों द्वारा खरीदे गए टिकटों पर भी ले जाया जा सकता है. इससे अधिक सामान होने पर सामान की दर से प्रभार लिया जाएगा और पूरी रकम नकद वसूल की जाएगी.

244.13 **न बदले गए कूपन** : बिना बदले गए कूपनों पर यात्रा करते हुए पाए गए यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करते हुए माना जाएगा और उन पर निर्धारित दंड लगाया जाएगा. ऐसे मामलों में, अतिरिक्त किराया और दंड की पूरी रकम नकद अदा की जाएगी.

244.14 **कूपनों का ज़ब्त किया जाना** : जिस रेल प्रशासन ने कूपन पुस्तक जारी की है, वह इस बात का सबूत मिलने पर कि जिन शर्तों पर कूपन पुस्तक जारी की गई थी, उनका पालन नहीं किया गया है, पुस्तक ज़ब्त कर सकता है. ऐसा करने से पहले इस मामले को सूचना और प्रसारण मंत्रालय,नई दिल्ली या राज्य सरकार/ज़िला प्रशासन के संबंधित विभाग के पास भेजना चाहिए और इस प्रकार की ज़ब्ती के लिए उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए.

244.15 **किराए की वापसी** : (1) अधिकृत प्रेस संवाददाताओं द्वारा संबंधित रेल प्रशासन को वापस किए गए बिना इस्तेमाल हुए कूपनों पर किराए की वापसी, इस्तेमाल न हुए कूपनों के मूल्य का 10% काट कर की जाएगी, बशर्ते कि वे रेल प्रशासन को उनकी वैधता की तारीख के भीतर वापस किए जाएं.

(2) निम्नलिखित स्थितियों में किराए की वापसी नहीं दी जाएगी :-

(i) बीती हुई अवधि के कूपनों पर, सिवाय किसी संवाददाता के मृत्यु हो जाने जैसी विशेष परिस्थितियों में, जिन कूपनों पर रकम की वापसी का दावा किया गया हो, उनके मूल्य का 10% काट लेने के बाद रकम की वापसी की जा सकती है.

(ii) स्टेशनों पर कूपनों के बदले में खरीदे गए अप्रयुक्त या आंशिक रूप से प्रयुक्त टिकटों पर बहरहाल, वापस किए गए टिकट के बदले में यात्री को टी.डी.आर. जारी किया जाएगा तथा धन की वापसी सामान्य रद्दकरण प्रभार वसूल करने के बाद नियमानुसार मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (धन वापसी) कार्यालय द्वारा की जाएगी.

टिप्पणी : कूपन की प्रत्येक पुस्तक में उपर्युक्त नियम अवश्य छपे रहने चाहिए.

* * * *

English Version